रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09122022-240919
CG-DL-W-09122022-240919

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 44] नई दिल्ली, नवम्बर 27—दिसम्बर 3, 2022, शनिवार/ अग्रहायणा 6—अग्रहायण 12, 1944

No. 44] NEW DELHI, NOVEMBER 27—DECEMBER 3, 2022, SATURDAY/AGRAHAYANA 6—AGRAHAYANA 12, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 173.—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) और सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) और उप निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) और उप निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) समूह 'ख' राजभाषा काडर पद भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **लागू होना** - ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता** – वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **चिकित्सा स्वास्थ्य** - इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा श्रेणी शेप-I में हैं, प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए केवल वे व्यक्ति जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत में यथा विहित चिकित्सक दृष्टया योग्यता हैं, वे इन नियमों के उपबंधों के अधीन पात्र होंगे।

7. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निरीक्षक (हिंदी अनुवादक)	66* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रुपये) ।	चयन ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400 रुपये) की श्रेणी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा, चिकित्सा श्रेणी शेप-I और निरीक्षक (हिंदी अनुवादक) पद के लिए विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा । परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा, अपेक्षित अर्हक सेवा के आधे से अधिक से, या दो वर्ष से, इनमें जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केन्द्रीय/ संघ राज्यक्षेत्रों/राज्य पुलिस संगठन के योद्धक अनुसचिवीय कर्मचारीवृंद में से: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रुपये) या समतुल्य स्तर में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हैं:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी माध्यम रहा हो और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो ; और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है में हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और विपर्ययेन में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य और विपर्ययेन में दो वर्ष का अनुभव। **(ग) चिकित्सा श्रेणी शेप-I** **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार

	प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नत द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. दो कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य I और सदस्य II	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप निरीक्षक (हिंदी अनुवादक)।	312* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता।

(6)	(7)
तीस वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी माध्यम रहा हो और अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी माध्यम रहा हो और हिन्दी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो ; और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है में हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और विपर्ययेन में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य और विपर्ययेन में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

शारीरिक मानक :-

ऊंचाई	**पुरुष**	**महिला**
अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के सिवाय सभी अभ्यार्थियों के लिए	165 से.मी.	155 से.मी.
शिथिलीकरण: गढ़वाली, कुमांयुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश तथा संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू - कश्मीर के अभ्यार्थियों के लिए	162.5 से.मी.	150 से.मी.
अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यार्थियों	162.5 से.मी.	150 से.मी.

छाती (केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए)

	सामान्य (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति भी है)	अनुसूचित जनजाति
बिना फुलाए	77 सेमी	76 सेमी
फुलाने पर	82 सेमी	81 सेमी

वजन: चिकित्सा मानदंडों के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुरूप (पुरुषों और महिलाओं के लिए) और;

चिकित्सा मानक :-

आँखों की दृष्टि – दोष सुधार यानि चश्मा या लेंस धारण किए बिना एक आँख की न्यूनतम दूर की नजर 6/6 और दूसरी आँख की 6/9 होनी चाहिए।

अभ्यार्थियों के घुटने आपस में नहीं टकराने चाहिए, चपटे पांव, भेंगी आंखे या वेरीकोस वेन नहीं होनी चाहिए और उनकी वर्ण दृष्टि उच्च होनी चाहिए। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ किसी अन्य ऐसी शारीरिक विकृति से मुक्त होना चाहिए जो कुशलतापूर्वक उनके दायित्वों का निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है और केंद्रीय सरकार द्वारा भर्ती हेतु चिकित्सा परीक्षाओं के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी तरह से चिकित्सकीय रूप से फिट होने चाहिए।

वांछनीय :

कंप्यूटर संचालन तथा हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग का ज्ञान।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे - 1. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -अध्यक्ष; 2. दो, कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -सदस्य I और सदस्य II	लागू नहीं होता

[फा. सं आर. नौ-1/2020-मंत्रा-डीए-3]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd November, 2022

G.S.R. 173.—In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Inspector (Hindi Translator) and Subedar Major (Hindi Translator) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Inspector (Hindi Translator) and Sub-Inspector (Hindi Translator) in the Central Reserve Police Force, namely :-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Inspector (Hindi Translator) and Sub- Inspector (Hindi Translator), Group 'B', Official Language Cadre posts, Recruitment Rules, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. **Application.**- These rules shall apply to the posts specified in column(1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** The number of posts, their classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** - No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness.** - Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, shall be eligible for promotion and for appointment by direct recruitment only those persons who are medically fit as specified in the Central Government guidelines for recruitment in Central Armed Police Forces and Assam Rifles, shall be eligible under the provisions of these rules.

7. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Inspector (Hindi Translator).	66* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Pay level-7 (Rs.44900-142400/-) in the pay matrix.	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation /absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation/ absorption.	**Promotion** : From amongst Sub Inspector (Hindi Translator) of Central Reserve Police Force in level 6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix with five years regular service in the level, medical category SHAPE-I and successfully completed the training/course determined for the post of Inspector (Hindi Translator). **Note** : Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level alongwith their juniors who have already completed such qualifying service. **By deputation/absorption:** From amongst combatised Ministerial staff of Central Armed Police Forces/Central/Union territories/ State Police organisation holding: (a) (i) analogous post on a regular basis; or (ii) posts in pay level 6(Rs.35400 – 112400) in the pay matrix or equivalent with five years regular service in the level: (b) Possessing the following qualification :- Masters Degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as medium of examination at the degree level; OR Masters Degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

	OR Masters Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Masters Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Masters Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English and Hindi as a compulsory or elective subject or either of two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and Recognised Diploma or Certificate Course in Translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central/State Government Offices including Government of India Undertaking. (c) Medical Category SHAPE-I. **Note 1 :** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2 :** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union public service commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering of promotion) consisting of :- 1. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force – Chairman ; 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force – Member I and II.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Sub-Inspector (Hindi Translator).	312* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Pay level-6 (Rs.35400-112400/-) in the pay matrix.	Not applicable.

(6)	(7)
Thirty years (Relaxable for Government servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	Masters Degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as medium of examination at the degree level;

Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for the receipt of application from candidates (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himanchal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Union territory of Lakshadweep).	OR Masters Degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Masters Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Masters Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Masters Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English and Hindi as a compulsory or elective subject or either of two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and Recognised Diploma or Certificate Course in translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government Offices, including Public Sector Undertaking and; **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. **Physical standard :-**

Height	Male	Female
For all candidates except the Schedule Tribes candidates	165 cms	155 cms
Relaxation: Candidates falling in the categories of Garhwalies, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Mehgalaya, Assam, Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh and Union territory of Jammu and Kashmir	162.5 cms	150 cms
All candidates belonging to the Schedule Tribes	162.5 cms	150 cms

Chest (for male candidates only)

	General (including Scheduled Castes/ Backward Castes)	Scheduled Tribes
Unexpended	77 cms	76 cms

Expended	82 cms	81 cms

Weight: Corresponding to height and age as per medical standards (For males and females) and ;

Medical Standard :-

Eye Sight.- The minimum distant vision should be 6/6 in one eye and 6/9 in other eye without correction i.e. without wearing of glasses or lenses.

Candidates must not have knock knee, flat foot, squint in eyes or varicose vein and they should posses high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties and medically fit in all respect as specified in the guidelines issued by the Central Government for recruitment of medical examinations from time to time.

Desirable :

Knowledge of Computer Operation and typing in Hindi and English.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force – Chairman ; 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force – Member I and II.	Not applicable.

[F.No. R. IX.1/2020-Min-DA-3]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)